कार्यालय::जिला एवं सत्र न्यायाधीश,जिला मुंगेली (छ0ग0)

//सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

क्रमांक–890/दो–12–20/2018 मुंगेली, दिनांक–23/12/2021

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि : दिनांक 31 / 01 /2022, शाम 5.00 बजे तक

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली की स्थापना में निम्नानुसार वाहन चालक एवं भृत्य के रिक्त पदों की भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

{1} रिक्त पदों का विवरण:–

क्रं.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	पदों के आरक्षण का विवरण															
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मु.	म. 30%	वि. 06%	भू.पू. सै. 10%	मु.	म. 30%	वि. 06%	भू.पू. सै. 10%	मु.	म. 30%	वि. 06%	भू.पू. सै. 10%	मु.	म. 30 %	वि. 06%	भू.पू.सै. 10%
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.	वाहन चालक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग –		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	भृत्य	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
योग–		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

नोट– रिक्त पदो की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

संकेतक–मु.–मुक्त, **म.**–महिला, **वि.**–विकलांग, **भू.पू.सै.**–भूतपूर्व सैनिक

{2} भर्ती की पात्रता एवं शर्ते :–

(1). **चतुर्थ श्रेणी (वाहन चालक) के पद के लिये–**

{अ}. वेतनमान :–

{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (19500–62000)}

{ब}. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–

{1}. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा आठवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

{2}. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित एल.एम.व्ही. ड्राईविंग लायसेंस चिप लगा हुआ {हल्का मोटरयान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस)} तथा वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है।

{3}. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। (कार्यरत शासकीय सेवको को छुट होगी)

(2). <u>चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) पद के लिये</u> –

{अ}. वेतनमान :–

{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के लेवल–1(15600–49400)}

{ब}. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं:–

{1}. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

{2}. सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य/ड्रायवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करे।

{3}. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। (कार्यरत शासकीय सेवको को छुट होगी)

{3} <u>आयुसीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तेः–</u>

(1) आयुसीमाः–

छत्तीसगढ राज्य के स्थानीय निवासी पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छ0ग0 के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयुसीमा में राज्य शासन द्वारा जो छुट दी गई है वह छुट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छुटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये कक्षा 5वी/8वी के प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छुट चाहते है, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अन्य शर्तें:–

(1). चयनित अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टाईपेन्ड देय होगा:–

प्रथम वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

(2). चयनित अभ्यर्थियों को मुंगेली जिले के बाहय न्यायालय में नियुक्ति की जा सकेगी।

(3). चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दांडिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

(4). उपरोक्त पदों की भर्ती/चयन के समय अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5). आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित/वैध होना अनिवार्य है।

(6). जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7). कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, जो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगा।

(8). कोई भी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, वह नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

(9). कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(10). आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

{4} <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकियाः—</u>

(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (यथा जन्म/आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 5वीं/8वी प्रमाण—पत्र) जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से वाहन चालक/भृत्य के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, **जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.) के नाम से रजिस्ट्री डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 31/01/2022 को संध्या 05.00 बजे तक** प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र नहीं लिए जाएंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर आगामी भर्ती प्रकिया हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें पृथक—पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते है, तो वे एक ही तिथि में पृथक—पृथक आवेदन प्रेषित कर सकते है। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन—पत्र निरस्त किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा शैक्षणिक तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गयी जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रकिया के किसी भी प्रकम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय <u>निरस्त/समाप्त</u> की जा सकेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

(4) आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ व दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड की आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे।

(5) ई–मेल, फैक्स, कोरियर, व्हाट्सअप द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(6) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा।

(7) आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

{5} <u>नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–</u>

(अ) <u>वाहन चालक पद के लिये</u>

(i) वाहन परिचालन में प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा–45 अंक।

(ii) साक्षात्कार 5 अंक।

<u>नोटः–</u>

(1.) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(2). समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में वाहन चालक/भृत्य पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

(3). अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लिया जा सकेगा, जो मान्य होगा।

(ब) <u>भृत्य पद हेतुः–</u>

(i) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु– 45 अंक।

(ii) साक्षात्कार 5 अंक।

<u>नोटः—</u>

(1.) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(2). समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में वाहन चालक/भृत्य पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

(3). अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लिया जा सकेगा, जो मान्य होगा।

—<u>महत्वपूर्ण निर्देशः</u>—

(1). सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र कमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगा।

(2). चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

(3). चयनित अभ्यर्थियों को जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा मे नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(4). चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

(5). उक्त नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पीटिशन कमांक (सी)591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।

(6). यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

(7). जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जाएगी।

(8). आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/mungeli** से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र

कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लायसेंस, मतदाता पहचान पत्र के मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे, अन्यथा की दशा में परीक्षा मे सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

(9). कौशल/प्रायोगिक परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

(10). प्राप्त आवेदन पत्रों की कुट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदको की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो, तो प्रकाशन के तिथि से 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् जिला न्यायालय के वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/mungeli** तथा सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी।

(11). अभ्यर्थी परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा।

(12). आवेदन पत्र में आवेदक एक पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा करेगा और दो अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा, जिसके पृष्ठ भाग पर आवेदक स्वयं का नाम अंकित करेगा।

(13). प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 6 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के आधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रकिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

(14). आवेदनों की छंटाई के पश्चात् पात्र एवं अर्ह आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की जानकारी इस कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी।

—:महत्वपूर्ण टीपः—

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। कौशल/प्रायोगिक परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता होने पर भी किसी प्रकार अतिरिक्त अंक के लिए पात्र नहीं होगा अथवा वरियता नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में चयन समिति जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली के अनुमोदन से नियम स्थापित कर सकेंगे। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

स्थान—मुंगेली
दिनांक 23/12/2021

23/12/2021
अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
मुंगेली (छ.ग.)

अनुमोदित
District & Session Judge
Mungeli(C.G.)
23-12-2021

वाहन चालक एवं भृत्य, के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली, जिला मुंगेली {छ0ग0}.

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट फोटो

01. **आवेदित पद का नाम** —..

02. आवेदक का पूरा नाम {हिन्दी में} —..

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पूरा नाम —..

03. लिंग {पुरूष / महिला} —..

04. पिता / पति का नाम —..

05. {अ}. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में)—..

....

....

{ब}. स्थाई पता —..

....

06. {अ}. जन्म तिथि{अंकों में} —..

{ब}. जन्म तिथि{शब्दों में} —..

{स}.दिनांक—01.01.2022 को आयु—वर्ष—..........माह—............दिन—..........

07. आवेदक का मोबाईल नंबर —..

08. क्या आवेदक छ.ग.राज्य का मूल निवासी है? हॉ / नहीं..
{सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें }

09. क्या आवेदक छ.ग.राज्य के लिये घोषित —..
अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग
का सदस्य है? हॉ / नहीं —..
{यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें}

10. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा—..
वर्ग अंकित करें।

11. क्या आवेदक विकलांग है? हॉ / नहीं —..
{यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला
मेडिकल बोर्ड का सत्यापिता प्रमाण पत्र

की छायाप्रति संलग्न }

12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत —...

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ?हॉ/नहीं–...

{यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी

प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करे}

14. रोजगार कार्यालय का पंजीयन कमांक —...

दिनांक/वैधता दिनांक

15. रोजगार कार्यालय का नाम —...

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता —...

क.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
1	2	3	4	5	6

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है?–......................
यदि हॉ/नहीं? यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी का <u>अनापत्ति/अनुमति</u> संलग्न करें ।

18. क्या आवेदक को किसी दांडिक प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया गया है अथवा दांडिक प्रकरण दर्ज हुआ हो तो प्रकरण की स्थिति के संबंध में दस्तावेज संलग्न करे–

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–{स्वयं या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिये}

01.. 02..
03.. 04..
05.. 06..
07.. 08..
09.. 10..

आवेदक का हस्ताक्षर

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण तथा संलग्न अभिलेख मे मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

स्थान–
दिनांक–

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मुंगेली {छ0ग0}

प्रवेश–पत्र

वाहन चालक/भृत्य के पद हेतु

आवेदित पद का नाम :–..

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक

अभ्यर्थी का नाम :–..

पिता/पति का नाम :–..

वर्ग– :–..

{अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व}

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :–..

परीक्षार्थी का रोल नंबर :–..

परीक्षा केंद्र का नाम :–..

परीक्षा का दिनांक :–..

परीक्षा का समय :–..

वास्ते/जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली,छ0ग0

परीक्षार्थी के लिये अनुदेशः–

1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र मे परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवे। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा रोल नंबर की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/mungeli** से प्राप्त करे।

3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो आवश्यक रूप से साथ लावे।

5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें ।